

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक:- 16/2016 नि0फौ0
संस्थित दिनांक 16-01-2016

रामप्रकाश पुत्र बृजलाल उम्र 55 वर्ष, निवासी
नया बस स्टेण्ड स्योडा रोड मौ, थाना मौ, जिला
भिण्ड म0प्र0 ।

-----आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. कमलेश पुत्र काशीराम, उम्र 25 साल ।
2. मुन्नाला पुत्र काशीराम उम्र 24 साल ।
3. जगजीवनराम पुत्र काशीराम उम्र 45 साल ।
4. काशीराम पुत्र रामदीन उम्र 65 साल । समस्त
निवासीगण नया बसस्टेण्ड स्योडा रोड मौ, थाना
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0 ।
5. म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ, जिला भिण्ड
म0प्र0 ।

-----अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानीकर्ता द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता ।
गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा श्री अधिवक्ता ।

// आ दे श //
// आज दिनांक 03-02-2016 को पारित किया गया //

01. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत दांडिक निगरानी आवेदनपत्र का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें कि निगरानीकर्ता ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री गोपेश गर्ग के द्वारा उनके यहाँ संचालित दांडिक प्र0क्रं0 577/2007 ई0फौ0 पुलिस थाना मौ वि0 कमलेश आदि में पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी पेश की गई है। जिसमें कि विचारण न्यायालय के द्वारा

निगरानीकर्ता की ओर से पेश आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम निरस्त किया गया है।

02. वर्तमान निगरानी के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि वर्तमान निगरानीकर्ता/फरियादी रामप्रकाश की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मौ के द्वारा गैर निगरानीकर्ता के विरुद्ध अपराध क्रमांक 36/07 कायम किया था जिसमें कि विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश हुआ जो कि प्रकरण क्रमांक 577/2007 ई0फौ0 पर दर्ज होकर आरोप लगाए जाने के पश्चात् अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया गया। प्रकरण में पुलिस थाना मौ के द्वारा अभियोग पत्र के साथ फरियादी/आहत की सिटी स्कैन रिपोर्ट की फोटोकॉपी पेश की गई थी। उपरोक्त प्रकरण में साक्ष्य के दौरान रेडियोलॉजी डॉक्टर आर.पी. गुप्ता अ0सा0 8 के रूप में उपस्थित हुए। उक्त चिकित्सक का कथन मूल सिटीस्कैन रिपोर्ट प्रकरण में पेश न होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। बाद में न्यायालय में द्वारा डॉक्टर का कथन पूर्ण न कराकर अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दी गई जिसमें अभियोजन की ओर से धारा 311 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदनपत्र पेश किया गया जिसे विचारण न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर अंतिम अवसर देते हुए सिटीस्कैन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। अभियोजन के द्वारा सिटी स्कैन रिपोर्ट की प्रतिलिपि लाकर पेश की गई जो कि न्यायालय के द्वारा मान्य नहीं किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से फरियादी के द्वारा अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य विधान का आवेदनपत्र दिनांक 04.08.15 को पेश किया गया जिसमें कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.12.2015 को उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य विधान अधिनियम निरस्त करते हुए अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर दिया गया। प्रकरण में सिटीस्कैन रिपोर्ट प्रमाणित नहीं हो पाई है और इस संबंध में उसके द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रमाणित करने के संबंध में भी आवेदनपत्र अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जिससे कि फरियादी/निगरानीकर्ता का हित प्रभावित होगा।

03. निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 09.12.15 वैधानिक दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आदेश पारित करने में न्यायालय के द्वारा कानूनी भूल की गई है। असल रिपोर्ट पेश न हो पाने के कारण सिटीस्कैन रिपोर्ट प्रमाणित नहीं हो पाई है, इस कारण साक्ष्य विधान की धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उसे प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु ग्राह्य किया जाना आवश्यक एवं विधि संगत है। पुलिस थाने के द्वारा जानबूझकर आरोपीगण को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से मूल सिटीस्कैन रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। प्रकरण में सिटीस्कैन प्लेट संलग्न है। इसके आधार पर भी साक्षी क्रमांक 8 के द्वारा रिपोर्ट को प्रमाणित किया जा सकता है। ऐसी दशा में सिटीस्कैन रिपोर्ट की फोटो प्रति द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान्य किये जाने

और साक्षी क्रमांक 8 को तलब कर उसे प्रमाणित किये जाने की अनुज्ञा देते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.15 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

04. उपरोक्त निगरानी के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 09.12.2015 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

//निष्कर्ष के आधार//

05. निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि अभियोगपत्र के साथ पुलिस ने सिटीस्केन रिपोर्ट की फोटो प्रति पेश की है। इसके अतिरिक्त सिटीस्केन प्लेट भी प्रकरण में पेश है। अभियोजन साक्षी क्रमांक 8 से उक्त सिटीस्केन प्रमाणित कराई जा सकती है।

06. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। विचारण न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09.12.2015 एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया और इस संबंध में वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया।

07. निगरानीकर्ता के द्वारा प्रकरण में सिटीस्केन रिपोर्ट की प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने और इस संदर्भ में डॉक्टर आर.पी.गुप्ता अ0सा0 8 का परीक्षण पूर्ण कराये जाने का निवेदन किया। इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि डॉक्टर आर.पी.गुप्ता जो कि दिनांक 24.08.2012 को साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए थे, प्रकरण में ओर्जिनल सिटीस्केन रिपोर्ट पेश न होने से अभियोजन के द्वारा मूल सिटीस्केन रिपोर्ट पेश करना व्यक्त किया गया था और इस कारण साक्षी का साक्ष्य स्थगित किया गया था। अभियोजन को अवसर दिए जाने के उपरांत भी उनके द्वारा इस संबंध में मूल दस्तावेज पेश न करने के कारण प्रकरण में दिनांक 27.11.2012 को अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। साक्ष्य साक्ष्य समाप्त घोषित किए जाने के उपरांत अभियोजन एवं फरियादी के द्वारा धारा 311 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र साक्षी को पुनः तलब करने बावत् पेश किया गया। जिस पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 10.02.2014 को पुनः मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने और अभियोजन साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया। पुनः साक्ष्य हेतु अवसर दिए जाने के उपरांत भी मूल दस्तावेज अभियोजन/फरियादी पेश नहीं कर सका।

08. फरियादी के द्वारा धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आवेदनपत्र पेश कर फोटो कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किये जाने एवं रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर. पी. गुप्ता को परीक्षण पूर्ण कराये जाने के निवेदन के साथ पेश किया गया जो कि विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.12.2015 को उक्त आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।

09. इस संबंध में वैधानिक स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य को परिभाषित किया गया है। धारा 64 के अनुसार दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही सावित किया जाना चाहिए, जबतक कि अधिनियम में आगे की धाराओं में दर्शाई गई अवस्थाएँ विद्यमान न हो। इस संबंध में धारा 65 साक्ष्य अधिनियम उन अवस्थाओं के बारे में बताता है जिनमें द्वितीयक साक्ष्य दी जा सकती है। धारा 65(ग) के अनुसार “जबकि मूल नष्ट हो गया हो, या खो गया हो, अथवा उसके अंतरवस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता है”। इस प्रकार उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि द्वितीयक साक्ष्य जबकि मूल संबंधित पक्षकार के कब्जे में न हो अथवा पक्षकार की उपेक्षा या व्यतिक्रम के बिना किसी अन्य कारण से युक्तियुक्त समय के भीतर पेश नहीं किया जा सकता है तब मूल का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होता है।

10. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, अभियोजन के द्वारा स्वयं मूल सिटीस्केन रिपोर्ट पेश करने हेतु रेडियोलॉजिस्ट के साक्ष्य की स्टेज पर समय मांगा गया था, किन्तु उनको काफी अवसर दिये जाने के उपरांत भी वह मूल पेश नहीं कर सके। उक्त मूल दस्तावेज जिससे कि फोटोकॉपी की जानी बताई जा रही है, इस संबंध में अभियोजन के द्वारा यह भी नहीं बताया जा सका है कि मूल दस्तावेज क्यों उपलब्ध नहीं हो सका है और इस प्रकार मूल के अस्तित्व को भी स्पष्ट रूप से इन्कार नहीं किया गया है।

11. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सिटीस्केन रिपोर्ट जो कि आहत रामप्रकाश से संबंधित है जो कि जे.ए.एच. हॉस्पिटल ग्वालियर माधव डिस्पेंसरी में भर्ती था और सी.एम.ओ. को सिटीस्केन प्रमाणित करने व अभिमत देने का निर्देश डॉक्टर संजय जैन के द्वारा दिया गया था और उक्त सिटीस्केन प्राइवेट रेडियोलॉजिस्ट डॉ० आर.पी.गुप्ता के यहाँ कराई गई है। अभियोजन के द्वारा संबंधित सी.एम.ओ. से मूल सिटीस्केन रिपोर्ट तलब करने या पेश करवाने बावजूद कोई प्रयास किया गया हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार सिटीस्केन रिपोर्ट के मूल का अस्तित्व जिसकी फोटोकॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य की जाने की अनुमति चाही गई है वह स्थापित नहीं की जा सकी हो और किन कारणों से मूल को पेश न कर केवल फोटोकॉपी पेश की गई इस बात को भी अभियोजन के द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया जा सका है कि मूल नष्ट हो गया है या मिल नहीं रहा है। ऐसी दशा में धारा 65(ग) की अपेक्षाओं की पूर्ति न होने के कारण फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य पर लिए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

12. निगरानीकर्ता की ओर से **2015(1) एच.सी.सी.डी. 513 एम.पी. बृजेश गुप्ता वि० भारतीय खाद्य निगम** पेश किया गया है और इस आधार पर

निवेदन किया गया है कि फोटोकॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य की जा सकती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत का जहाँ तक प्रश्न है। निश्चित रूप से वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियाँ उपरोक्त प्रकरण से भिन्न हैं। वर्तमान प्रकरण में सिटीस्केन रिपोर्ट जो कि प्राइवेट रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक के द्वारा बनाई जानी बताई गई है उसके मूल का अस्तित्व भी इन्कार नहीं किया गया है और फोटोकॉपी किस के द्वारा कराई गई ऐसा भी कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि मूल अस्तित्व में होने से इन्कार नहीं किया जा सका है। इस परिप्रेक्ष्य में फोटोकॉपी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं की जा सकती है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर निगरानीकर्ता का कोई पक्ष समर्थन नहीं होता है।

13. इस बिन्दु पर विचारण न्यायालय के द्वारा रिफर किए गए न्यायिक दृष्टांत **2006 सी.आर.एल.जे. 4245 जयप्रकाशसिंह वि० स्टेट ऑफ बिहार** में भी स्पष्ट रूप से इस संबंध में वैधानिक स्थिति पर विचार करते हुए मेडीकल रिपोर्ट की फोटोप्रति जो कि प्रकरण में केश डायरी के साथ पेश की गई है उसके संबंध में तथ्यों को स्पष्ट न करने के कारण फोटोकॉपी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती है। उक्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियाँ वर्तमान प्रकरण के समान हैं जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विश्वास किया गया है।

14. ऐसी दशा में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2015 पारित करने में किसी प्रकार की वैधानिक भूल की जानी नहीं पाई जाती है। विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सिटीस्केन की फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में मान्य न करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि की जानी भी नहीं पाई जाती है। विचारण न्यायालय का आदेश अवैध, अशुद्ध या औचित्यहीन होना नहीं कहा जा सकता है।

15. अतः विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2015 की पुष्टि की जाती है और निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

16. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के बुलाए गए सभी अभिलेख वापिस हो ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड